

जयपुर विधुत वितरण निगम लि०
कार्यालय वरिष्ठ लेखाधिकारी (मुख्यालय)

कमांक/जे.पी.डी./व० ले० (मु०)/ए.ओ/रोकड़/पत्रा. 2/प्रे. 623


जयपुर दिनांक 7.7.07

परिपत्र

लेखाधिकारी (रोकड़) जयपुर विधुत वितरण निगम लि० जयपुर द्वारा जिन अधिकारियों /कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है उनका वेतन भुगतान अब नगद व बैंक द्वारा नहीं किये जाकर बैंक खाते के माध्यम से ही किया जावेगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में कोर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो गई है एंवम विधुत भवन परिसर स्थित शाखा द्वारा शून्य बैंलेसं पर खाते खोले जाने की भी सुविधा प्रदान की जा रही है।

अतः सम्बन्धित सभी विभागध्यक्ष/कार्यालय प्रधान अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों /कर्मचारियों को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की शाखाओं में खाते खुलवाए जाने हेतु निर्देशित करें, व उनके वेतन भुगतान विपत्रों में उनके बैंक खाता संख्या अंकित करके ही संस्थापन अंकेक्षण शाखा को प्रेषित करें, अधिकारियों के बैंक खाता संख्या एवं शाखा का नाम सहायक लेखाधिकारी (सं० अं०) ज० वि० वि० नि० लि० जयपुर को सूचित करें, जिससे रोकड़ शाखा द्वारा देय भुगतान उनके बैंक खातों में हस्तान्तरित किया जा सके।


आज्ञा से


(क. एल. गुप्ता)

वरिष्ठ लेखाधिकारी (मुख्यालय)
जयपुर विधुत वितरण निगम लि.जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता (प०व०सं०)/वाणिज्य/प०प्र०/ जयपुर विधुत वितरण निगम लि. जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी जयपुर विधुत वितरण निगम लि. जयपुर।
3. सचिव जयपुर विधुत वितरण निगम लि. जयपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता () जयपुर विधुत वितरण निगम लि. जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) जयपुर विधुत वितरण निगम लि. जयपुर।
6. उप सचिव (सा० प्र० शा०) जयपुर विधुत वितरण निगम लि. जयपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य द्वितीय) जयपुर विधुत वितरण निगम लि. जयपुर।
8. लेखाधिकारी (संस्थापन नियंत्रण) जयपुर विधुत वितरण निगम लि. जयपुर।
9. निजी सहायक अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक जयपुर विधुत वितरण निगम लि. जयपुर।
10. निजी सहायक निर्देशक (वित्त) जयपुर विधुत वितरण निगम लि. जयपुर।
11. सहायक लेखाधिकारी(राजस्व/सं०अं०) जयपुर विधुत वितरण निगम लि. जयपुर।


वरिष्ठ लेखाधिकारी (मुख्यालय)